

अध्यादेश संख्या – 28

परीक्षाओं/उपाधियों की मान्यता के लिए समतुल्यता पर स्थाई समिति

[केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 की धारा 28(1) (O)]

1. समतुल्यता के सभी प्रस्तावों तथा आवेदनों का परीक्षण संबंधित संकाय के अधिष्ठाता के द्वारा अध्ययन-पाठ्यक्रम के सन्दर्भों तथा पाठ्यक्रमों के मानकों के अनुसार किया जायेगा। परीक्षा/उपाधि की समतुल्यता संबंधी अधिष्ठाता की रिपोर्ट स्थाई समिति के समक्ष रखी जायेगी।

परीक्षाओं/उपाधियों की समतुल्यता पर स्थाई समिति का संघटन

2. परीक्षा/उपाधि की समतुल्यता विषयक स्थाई समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे –
 - i. कुलपति या कुलपति द्वारा नामित कोई एक अधिष्ठाता इस समिति का अध्यक्ष होगा ;
 - ii. सभी संकायों के अधिष्ठाता ;
 - iii. शैक्षणिक परिषद् के सदस्यों में से ही उनके द्वारा तीन वर्षों के लिए नामित कोई एक व्यक्ति ;
 - iv. कुलसचिव; और
 - v. परीक्षा नियंत्रक – सदस्य सचिव।
3. **समिति के कार्य होंगे :**
 - क. अन्य विश्वविद्यालयों/परिषदों/संस्थानों के नवीन पाठ्यक्रमों/परीक्षाओं/उपाधियों की मान्यता के लिए प्रस्तुत प्रस्तावों पर विचार करना ;
 - ख. अन्य विश्वविद्यालयों/संस्थानों/व्यक्तियों द्वारा प्राप्त परीक्षाओं/उपाधियों की मान्यता के लिए प्राप्त निवेदनों पर विचार करना और इसकी अनुशंसा को शैक्षणिक परिषद् के समक्ष प्रस्तुत करना ;
 - ग. शैक्षणिक परिषद् को संदर्भित किये गये सभी मामलों को शैक्षणिक परिषद् को सूचित करना ; और
 - घ. विश्वविद्यालय द्वारा दिए जाने वाले उपाधि/डिप्लोमा एवं प्रमाण पत्र की मान्यता के लिए अभ्यर्थित किये चलायमान आवेदनों के मामले तैयार करना जो देश के भीतर अथवा बाह्य के विश्वविद्यालयों द्वारा पत्राचार के माध्यम से दिए जाने वाले उपाधि/डिप्लोमा/प्रमाण पत्र के समकक्ष हों।
4. **गणपूर्ति (कोरम) :** समस्त सदस्य संख्या के एक तिहाई सदस्य समिति की बैठक के लिए कोरम पूरा करेंगे।
5. समिति कार्य संचालन के नियम बनायेगी तथा शैक्षणिक परिषद् की स्वीकृति तथा अनुमोदन के लिए दिशा-निर्देश जारी करेगी। शैक्षणिक परिषद् अपनी ओर से अपनी कोई शक्ति इस समकक्ष-समिति में निहित कर सकती है।

ORDINANCE NO. 28

STANDING COMMITTEE ON EQUIVALENCE FOR RECOGNITION OF EXAMINATIONS/DEGREES

(Section 28(1)(o) of the Central Universities Act 2009)

All proposals and requests for equivalence shall be examined by the Dean of the School concerned with regards to the courses of study and the standard of the Courses. Report of the Dean shall be placed before the Standing Committee on Equivalence of Examinations/Degrees.

Composition of the Standing Committee on Equivalence of Examinations/Degrees:

1. The Standing Committee on Equivalence of Examinations/Degrees shall consist of the following members:
 - i. Vice-Chancellor or One of the Deans to be nominated by the Vice-Chancellor who shall be the Chairperson;
 - ii. Deans of the Schools;
 - iii. One person nominated by the Academic Council from amongst its members for a period of three years;
 - iv. Registrar; and

v. Controller of Examinations - *Member Secretary*

2. **The functions of the Committee shall be:**

- a. to consider the proposal for the recognition of new courses/examinations/degrees of other Universities/Boards/Institutions;
 - b. to consider requests for recognition of Examinations/degrees received from other Universities/Institutions/individual(s) and submit its recommendations to the Academic Council;
 - c. to report to the Academic Council on all matters, which are referred to it; and
 - d. to prepare a case of moving application for seeking recognition of Degrees/Diplomas and Certificates awarded by the University equivalent to the corresponding Degrees, Diplomas and Certificates of Universities and other Institutions within and outside the country.
3. **Quorum:** One-third of the members of the Committee shall constitute the quorum for a meeting of the Committee.
4. The Committee shall frame the Rules of Business and lay down guidelines for consideration and approval of the Academic Council. The Academic Council may delegate any of its powers, in this behalf, to the Equivalence Committee.